

कार्यालय नगर परिषद, सीकर (राज.)

—: भवन निर्माण अनुज्ञा :—

(राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत)

पत्रावली संख्या :- बी -16AB / 16.11.2016

क्रमांक :- एफ(6) () तामीर / 2018-19 / 57

दिनांक :- 5-9-18

मैसर्स सत्यम इन्फ्रास्ट्रक्चर जरिये भागीदारान

- 1 श्री अनुभव जैन पुत्र श्री नानकराम जैन
 - 2 श्री रमेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रभुदयाल अग्रवाल,
 - 3 श्री मोहम्मद रियाज पुत्र श्री नूर मोहम्मद
- वार्ड नं. 16 नया, पुरानी कोतवाली रोड, सीकर (राज.)



विषय :- प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2016 बाबत भवन निर्माण अनुज्ञा

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 16.11.2016 के सन्दर्भ में कार्यादेश अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 196, 197, 202, 203, 204, 207 एवं भवन विनियम 2017 के अन्तर्गत निम्नांकित निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ संलग्न नक्शा/नक्शे में किये गये संशोधन के अनुसार सुर्ख लाल रंग में अंकित भाग में बेसमेन्ट, ग्राउण्ड व प्रथम, द्वितीय, तृतीय फ्लोर पर व्यावसायिक भवन निर्माण अनुज्ञा दी जाती है :-

1. यह स्वीकृति Subject to Civil Rights होगी।
2. यह निर्माण अपने स्वामित्व की भूमि पर ही किया जावेगा। सरकारी/परिषद की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा, अन्यथा बिना नोटिस हटवा दिया जावेगा। जिसका हर्जा-खर्चा भवन मालिक से वसूला जावेगा।
3. सरकारी/परिषद की भूमि पर चबूतरा/अतिछाजन अथवा नाली पर सीढ़ी अथवा पायदान नहीं बनाया जावेगा। अन्यथा बिना नोटिस के हटवा दिया जावेगा। जिसका हर्जा-खर्चा भवन मालिक से वसूला जावेगा।
4. फलश तहारत का ही निर्माण किया जावेगा तथा सेप्टिक टैंक/सोकपिट अपनी स्वयं की भूमि में ही निर्मित किया जावेगा। बिना फलश की तहारत निर्मित किये जाने पर बिना नोटिस हटवा दिया जावेगा। जिसका हर्जा-खर्चा भवन मालिक से वसूला जावेगा।
5. भवन में जितने परनाले रखे जावेंगे, उन सभी परनालों को पाईपों के माध्यम से जोड़कर वर्षा जल संग्रहण संयंत्र से जोड़ा जायेगा।
6. गन्दे नाले/नाली की 50 फुट की दूरी तक पुख्ता नाली बनाकर परिषद की नाली में मिलाना होगा। जहां परिषद की नाली नहीं हो पुख्ता होदी बनाकर अथवा पर्याप्त सोकपिट बनाया जावेगा।
7. अनुज्ञाधारी द्वारा नगर परिषद की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये गढ़े हुए या कूटरचित या मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा गलत और मिथ्या कथन किया है अथवा शपथ-पत्र में सारवान तथ्यों को छिपाया है तो वह सुसंगत विधियों के अधीन गठन, कपट और छिपाव के लिये अभियोजित किये जाने का दायी होगा। उक्त कार्य में लिप्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अविलम्ब दण्डात्मक कार्यवाहियां आरम्भ की जावेगी।
8. भवन निर्माण प्रारम्भ करने के 6 माह के भीतर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आशय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी।
9. नगर पालिका क्षेत्र के भीतर, कोई संनिर्माण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या अभिकरण, कोई भी निर्माण आरम्भ करने के पूर्व, प्रस्तावित संनिर्माण से संबंधित निम्नलिखित विशिष्टियां, भवन-स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, किसी भी दृढ़ बोर्ड से बने (4'-0" X 4'-0") के आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा :-

For Satyam Infrastructure
Authorised Signatory

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

- I. संनिर्माण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं
- II. भवन-स्थल की विशिष्टियां जिनमें स्वामी का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं
- III. नगर परिषद या किसी भी अन्य प्राधिकारी या नगर सुधार न्यास से प्राप्त की गयी अनुज्ञा का संख्यांक और तारीख, यदि अपेक्षित हो
- IV. प्रस्तावित संनिर्माण की प्रमुख विशिष्टियां अर्थात् प्रस्तावित उपयोग, तलों की कुल संख्या, इकाइयों की संख्या, संनिर्माण का वर्ग फुट में प्रस्तावित क्षेत्र, सार्वजनिक पार्किंग इकाइयों की संख्या
- V. संनिर्माण प्रारम्भ करने और समाप्त करने की तारीख और
- VI. भवन निर्माण की अनुज्ञा अपेक्षित न होने के मामले में कारण।

जो कोई भी उक्त उप धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डीय होगा जो पचास रुपये तक का हो सकेगा।

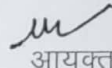
10. भवन निर्माण या किसी भवन को गिराने का या किसी भवन के बाह्य भाग को परिवर्तित करने या उसकी मरम्मत करने का आशय रखते हैं, किसी भाग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की सम्भावना हो सकती है तो वह ऐसा कार्य आरम्भ करने से पूर्व नगर परिषद से लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा और मार्ग से उस भवन को, जहां पर ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, अलग रखने के लिए, पर्याप्त होर्डिंग या बाड़ लगवायेगा और ऐसे समय के दौरान जो लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए अपेक्षित हो, ऐसा बोर्ड या होर्डिंग को नगर परिषद के समाधानप्रद रूप में खड़ी हुई और अच्छी हालत में रखेगा और उसे रात्रि में पर्याप्त रूप से प्रकाशित करवायेगा और जब नगर परिषद द्वारा निर्दिष्ट किया जाये तो उसे हटा देगा।
11. निर्माण का कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किया जावेगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन के लिये पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. यह अनुज्ञा स्वीकृति की तिथि से केवल 7 वर्ष के लिये प्रभावशाली रहेगी अवधि समाप्त हो जाने पर पुन स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. मौके पर किसी भी और विद्यमान चालु विद्युत लाईन से न्यूनतम दूरी इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार होगी।
14. वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण अनिवार्य हैं। जिसके अन्तर्गत निम्न में से किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण किया जा सकता है।
(अ) भूतल पर वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्लॉट के आकार के अनुरूप भूमिगत टॉके का निर्माण
(ब) वर्षा जल के भूजल स्तर के पुनर्भरण हेतु संरचना का निर्माण।
15. भवन की अधिकतम ऊँचाई देय अनुज्ञा के अनुसार ही होगी।
16. भवन में आपात कालीन दरवाजे, खिड़किया रखी जावें।
17. भवन में अग्निशमन व विद्युत सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबन्धों में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
18. निर्माण कार्य किसी सक्षम तकनीकीविज्ञ की देखरेख में करेंगे। जिसकी पुष्टि स्वरूप तकनीकीविज्ञ का प्रमाण-पत्र तीन चरणों (डी.पी.सी. लिन्टल, कम्पलिशन ऑफ बिल्डिंग) में प्रस्तुत करना होगा।
19. भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करना होगा। उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
20. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा।
21. स्थानीय निकाय द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
22. पार्किंग भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।



Authorised Signatory

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

23. यह निर्माण संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये सेटबैक को छोड़कर करना होगा। छुड़वाये गये सेटबैक एवं सड़क विस्तार के लिये नगर परिषद को समर्पित भूमि में किसी भी प्रकार के निर्माण को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त करवा दिया जायेगा।
24. भवन की कुर्सी एवं छत की ऊँचाई संलग्न मानचित्र में भवन विनियम-2017 के प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है। अतः मानचित्र में दर्शित ऊँचाई के अनुसार रखनी होगी।
25. भवन निर्माण के दौरान समय-समय पर नगर परिषद सीकर के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जावेगा एवं निरीक्षण के दौरान यदि आवश्यक समझा जाये तो भवन के संबंध में अतिरिक्त सूचना जहां आवश्यक हो मांगी जा सकती है।
26. निर्माण कार्य के दौरान आंशिक अधिवास प्रमाण-पत्र भवन अनुज्ञा के अनुसार आधा निर्माण होने पर जारी किया जावेगा। यदि अनुज्ञाधारी द्वारा जनसुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी के उपाय कर लिये हो।
27. निर्माण कार्य पूर्ण होने के 7 दिवस में अनुज्ञाधारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना देनी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
28. यदि अनुज्ञाधारी मंजूर योजना के उल्लंघन में या उस पर अधिरोपित मानको, शर्तों, निर्बंधनों का अतिक्रमण करते हुए निर्माण या पुनर्निर्माण आरम्भ करता है, या जारी रखता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पर, ऐसे साधारण कारावास से, पन्द्रह दिन से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पैतालीस दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
29. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 196, 197, 202, 203, 204, 207 एवं भवन विनियम 2017 के आपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
30. सम्बन्धित पत्रावली में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होने पर या कोई गलत दस्तावेज/तथ्य पाये जाने पर या तामीर स्वीकृति के विपरीत निर्माण करने पर परिषद द्वारा जारी तामीर स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
31. बेसमेन्ट में ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिए परिसंकटमय या हानिकारक हो के उपयोग में नहीं लिया जायेगा।


 आयुक्त
 नगर परिषद, सीकर

संलग्न : नक्शा

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. श्री सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक (अतिक्रमण प्रभारी)/स्वास्थ्य निरीक्षक/मिस्त्री हल्का को एक प्रति नक्शा सहित इन निर्देशों के साथ भेजी जाती है कि हल्का निर्माण स्वीकृति के अनुसार किये जाने की देखरेख एवं निगरानी रखेंगे तथा निर्माण खिलाफ मंजूरी व किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल कार्य बन्द करवाकर रिपोर्ट करेंगे तथा निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर कार्य स्वीकृत एवं शरायत के अनुसार पूरा हो जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

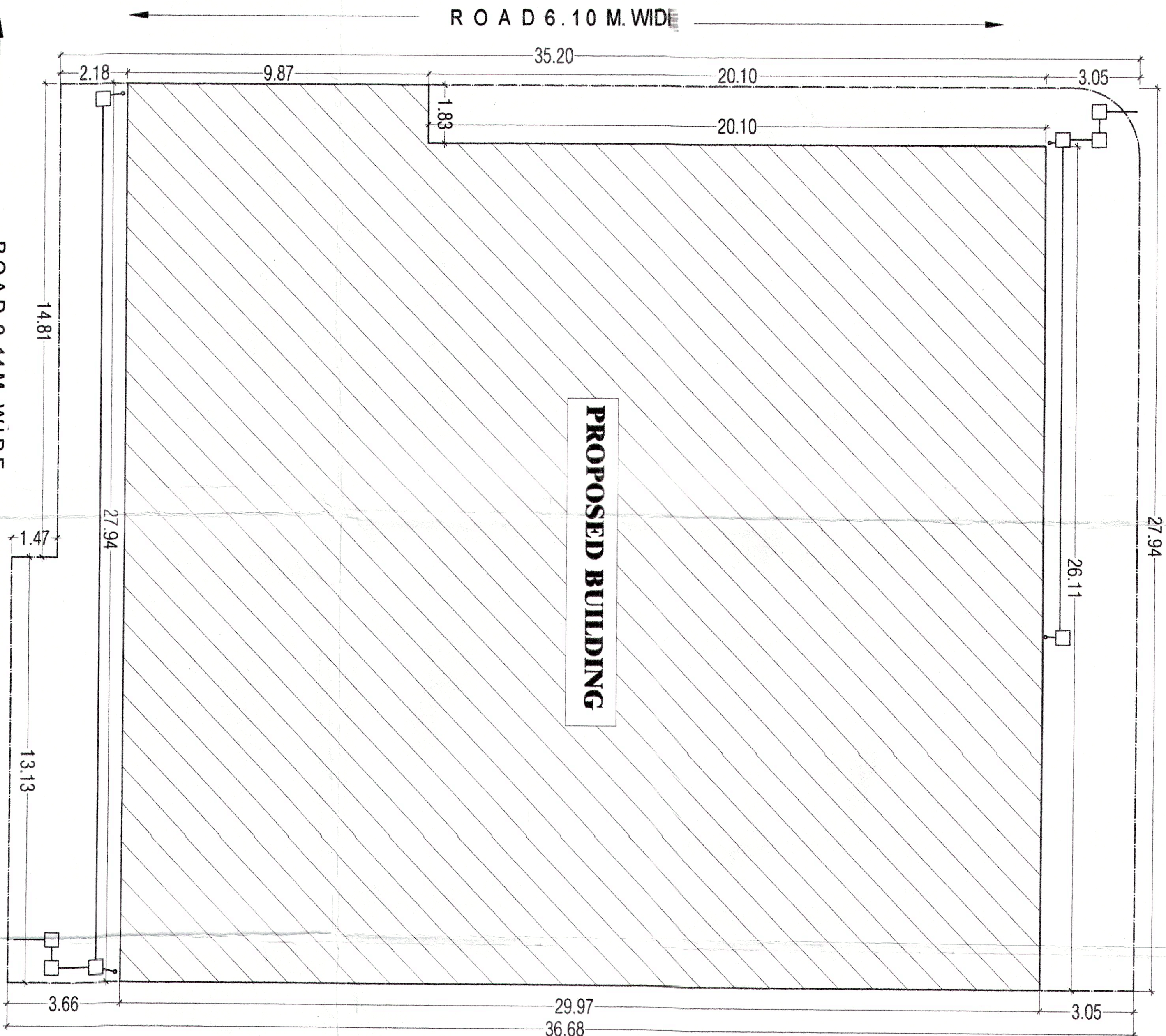
For Satyam Infrastructure
 Authorised Signatory

आयुक्त
 नगर परिषद, सीकर



ROAD 13.72 M. WIDE

27.94

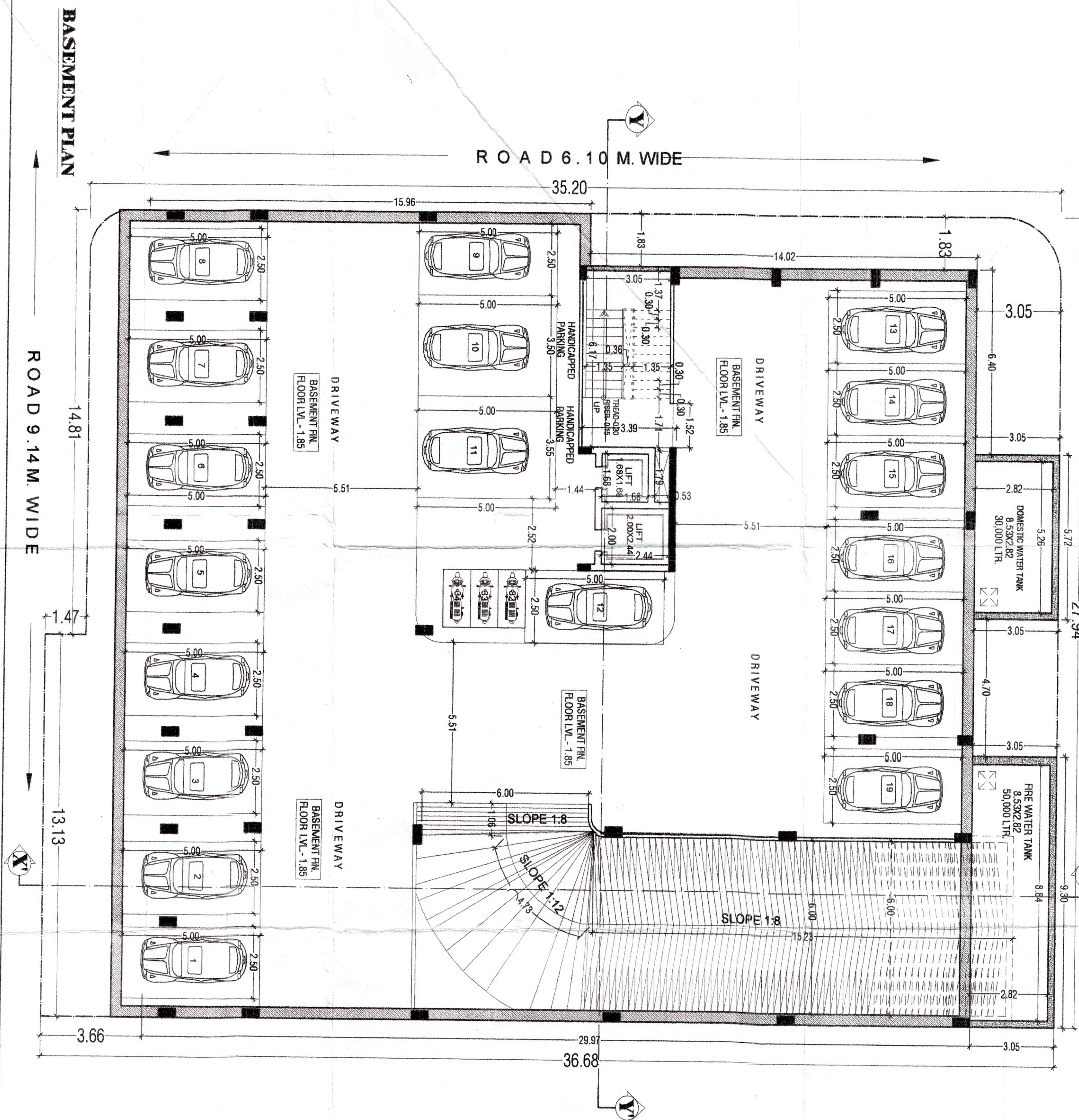


SITE PLAN

North

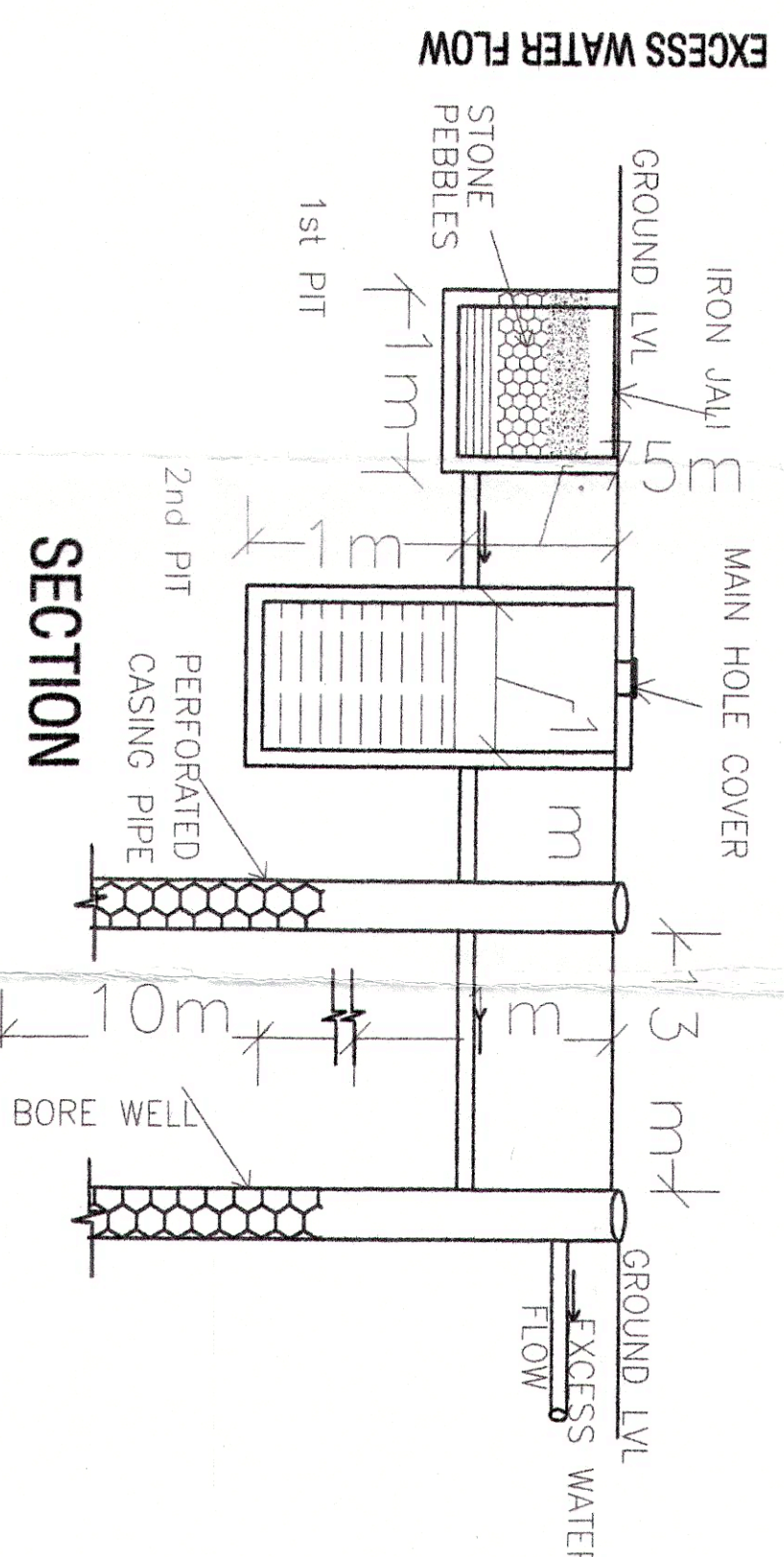
ROAD 9.14 M. WIDE

ROAD 13.72 M. WIDE



BASEMENT PLAN

ROAD 9.14 M. WIDE



SHEET NO-1

TOTAL PLOT AREA = 995.75 SQ. MT.

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILT UP AREA SQ.MT.	FAR SQ.MT.
1.	BASEMENT	888.40	588.54
2.	GROUND	808.84	661.02
3.	FIRST	902.63	661.02
4.	SECOND	902.63	661.02
5.	THIRD	902.63	663.00
6.	TERRACE	45.61	-
TOTAL		4450.74	2563.58

FAR CONSUMED = 2563.58 SQ.M.

REQUIRED PARKING = 2563.58/50 = 51.27 E.C.U.

REQUIRED VISITOR PARKING (25%) = 12.81 E.C.U.

TOTAL REQUIRED PARKING = 64.08 E.C.U.

= 65 E.C.U.

PROPOSED PARKING

OPEN CAR PARKING - 1 NOS.

BASEMENT CAR PARKING - 19 NOS.

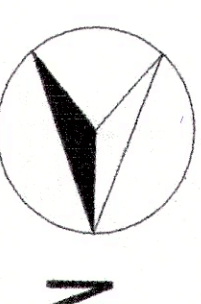
BASEMENT TWO WHEELERS PARKING - 3 NOS.

GROUND TWO WHEELERS PARKING - 30 NOS.

SHEET NO-1

WARD NO. 16 PURANI KOTWALI ROAD, SIKAR (RAJ)
VERSUS - MESERS SATYAM INFRASTRUCTURE, KOTWALI ROAD.
SIKAR DIST - SIKAR, PARTNERS:- 1. SHRI ANUBHAV JAIN,
S/O. MANAKRAM JAIN
CASTE JAIN, RESIDENT WARD NO. 24, NEAR TABELA GAT
SIKAR, 2. SHRI RAMESH KUMAR
AGARWAL S/O. SHRI PRABHUDAYAL AGARWAL CASTE
MAHAJAN, RESIDENT KOTWALI ROAD.
SIKAR AND 3. MOHAMMAD RYAZ S/O SHRI NOOR
MOHAMMAD CASTE MUSLIM RESIDENT MUGHAL MANZIL,
NEAR PINK HOUSE, GANDHI NAGAR, SIKAR, RAJ.

SCALE 1:100



TITLE:

SUBMISSION DRAWINGS
SITE PLAN & BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT:

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING
M/S SATYAM INFRA
AT KOTWALI ROAD, SIKAR.

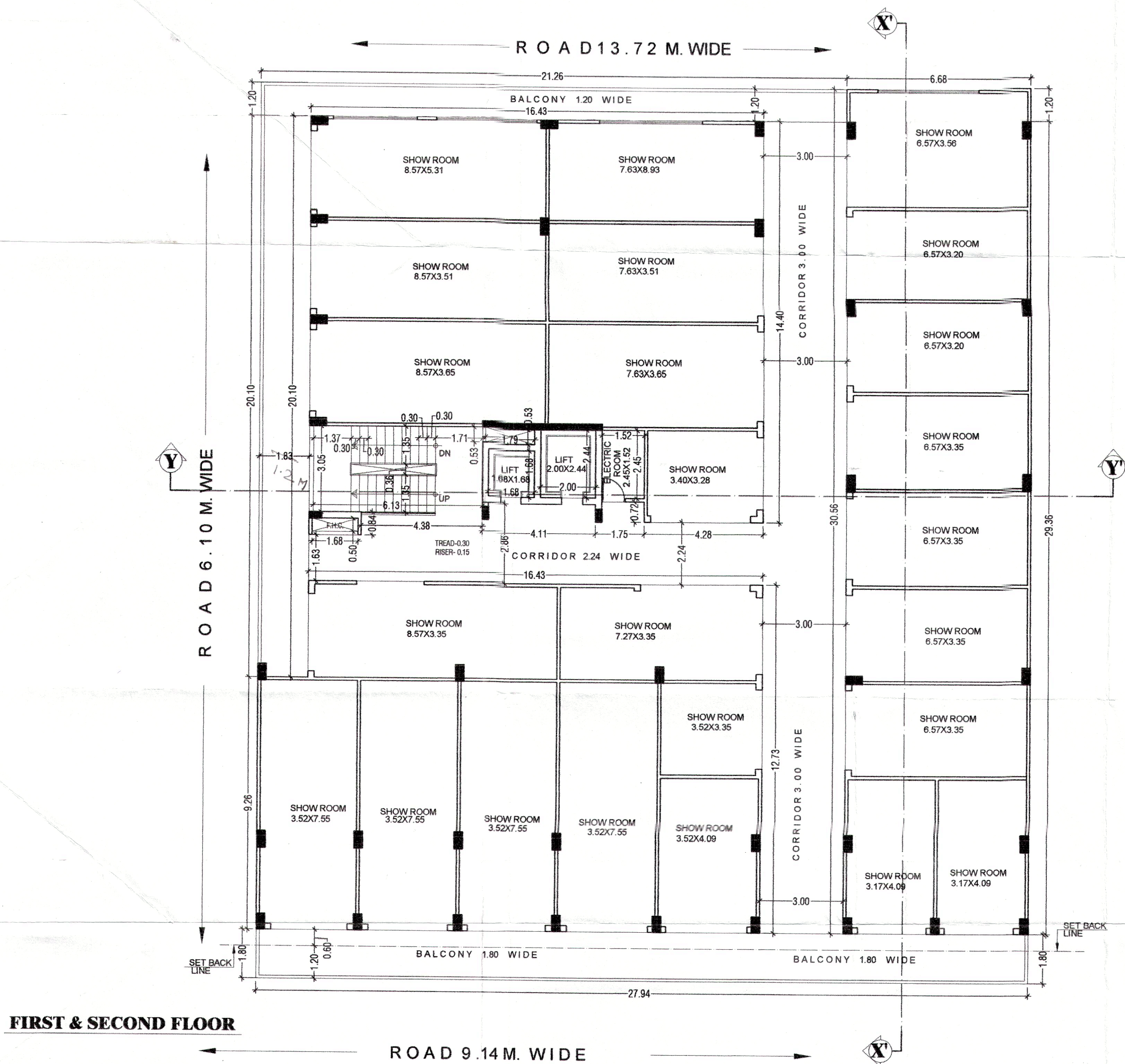
OWNER:

ARCHITECT:

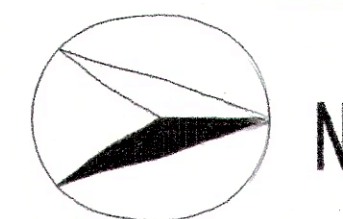


For Satyam Infrastructure
Authorized Signatory

8/16/18 16:17:16
5.5.18
4. 6/27/18 5:20:19
8/16/18 16:17:16
5.5.18
4. 6/27/18 5:20:19



SCALE 1:100



SUBMISSION DRAWINGS
GROUND , FIRST & SECOND FLOOR PLAN

GROUND , FIRST & SECOND FLOOR PLAN

PROJECT:
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING
M/S SATYAM INFRA.
AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.

**PROPOSED COMMERCIAL BUILDING
M/S SATYAM INFRA.
AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.**

**M/S SATYAM INFRA.
AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.**

AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.

OWNER:

ARCHITECT:

Ar. SUNIL NIRMAL KUMAR JAIN
COUNCIL OF ARCHITECTURE
CA/20.14/64602

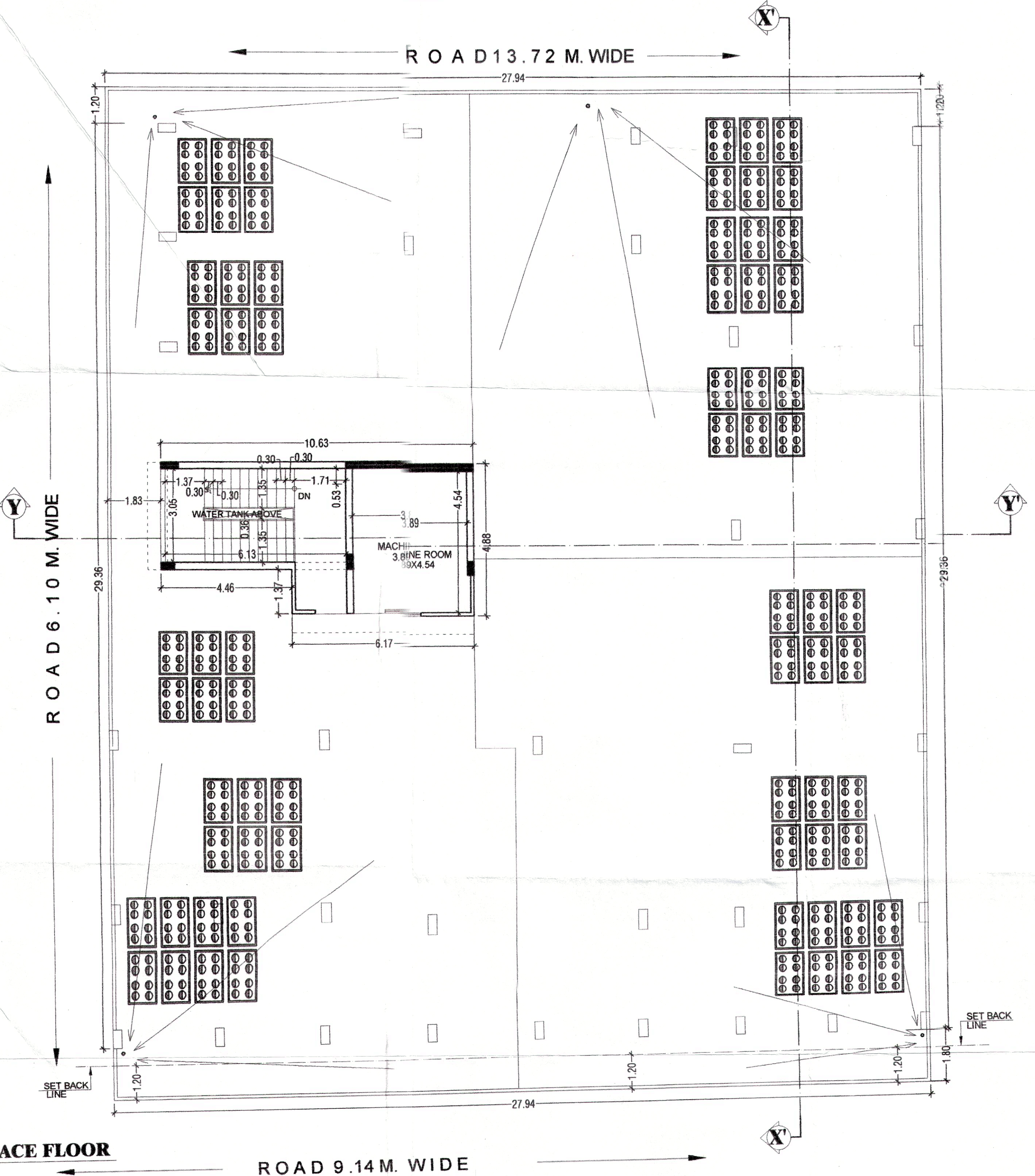
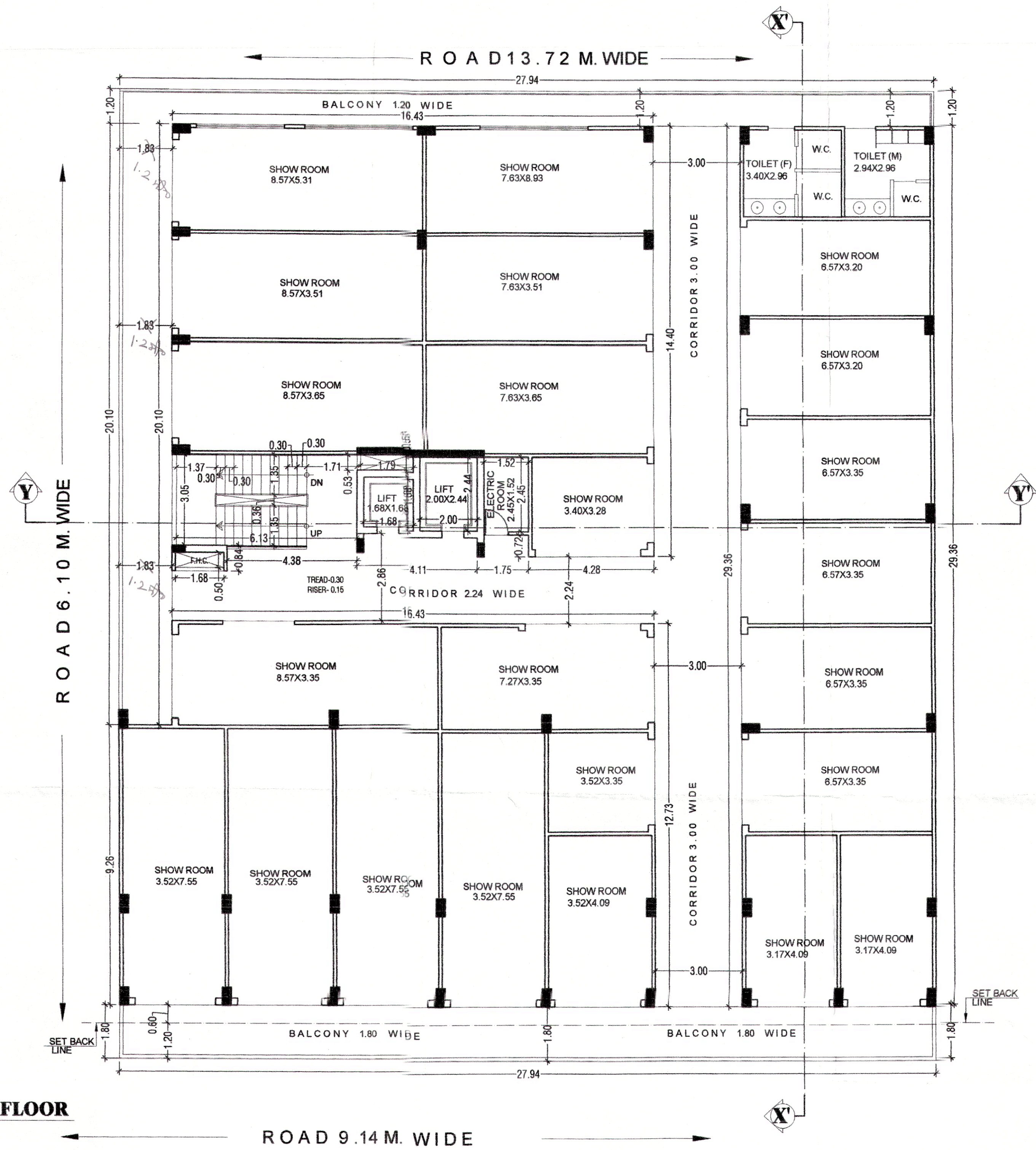


10



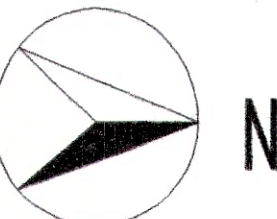
16-11-2016
 5-9-16
 57
 544

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]* *[Handwritten mark]*



WARD NO. 16 PURANI KOTWALI ROAD, SIKAR (RAJ).
VERSUS - MESERS SATYAM INFRASTRUCTURE, KOTWALI ROAD,
SIKAR. DIST - SIKAR, PARTNERS:- 1. SHRI ANUBHAV JAIN
S/O. NANAKRAM JAIN
CASTE JAIN , RESIDENT WARD NO. 24, NEAR TABELA GATE
SIKAR. 2.SHRI RAMESH KUMAR
AGARWAL S/O. SHRI PRABHUDAYAL AGARWAL CASTE
MAHAJAN, RESIDENT KOTWALI ROAD,
SIKAR AND 3. MOHAMMAD RIYAZ S/O SHRI NOOR
MOHAMMAD CASTE MUSLIM RESIDENT MUGHAL MANZIL,
NEAR PINK HOUSE, GANDHI NAGAR, SIKAR, RAJ.

SCALE 1:100



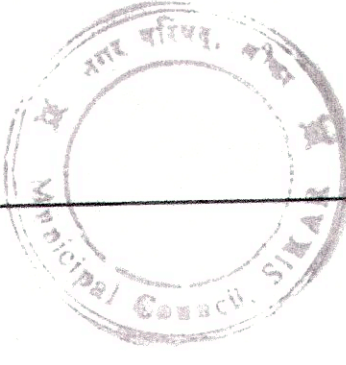
TITLE:
SUBMISSION DRAWINGS
THIRD & TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT:
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING
M/S SATYAM INFRA.
AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.

OWNER:

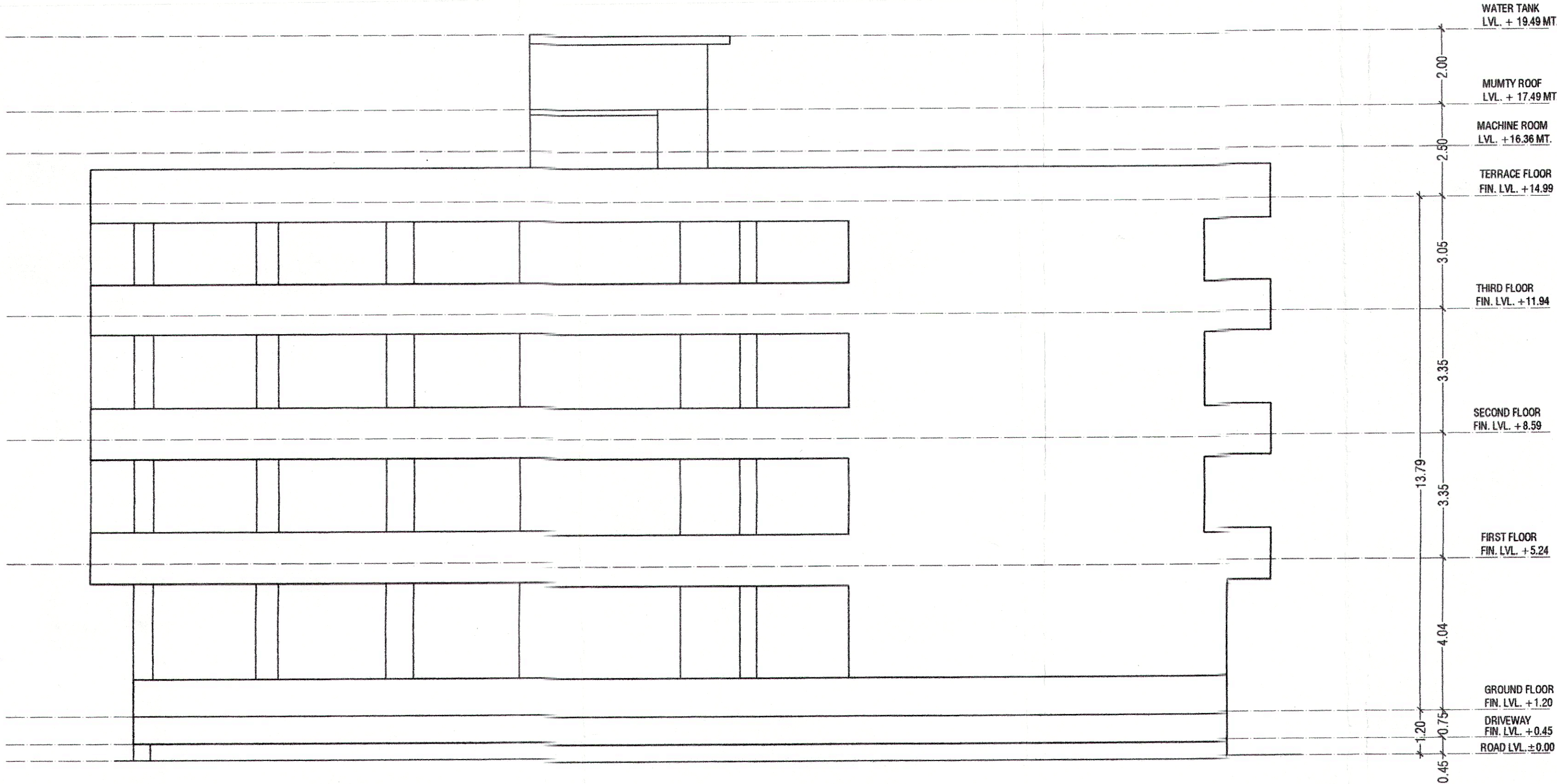
ARCHITECT:

Ar. SUNIL NIRMAL KUMAR JAIN
COUNCIL OF ARCHITECTURE
CA/2014/64602

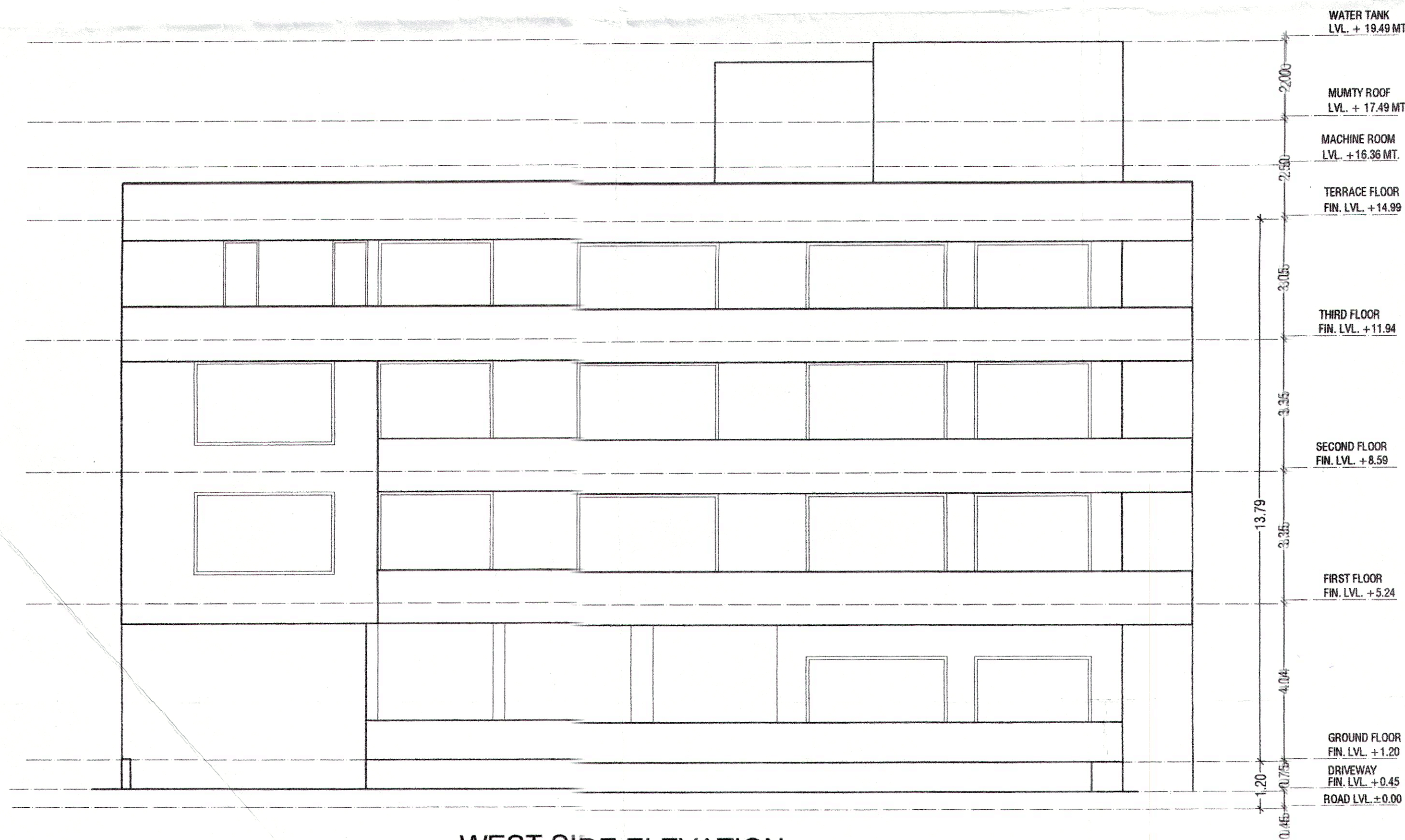


For Satyam Infrastructure
Authorised Signatory

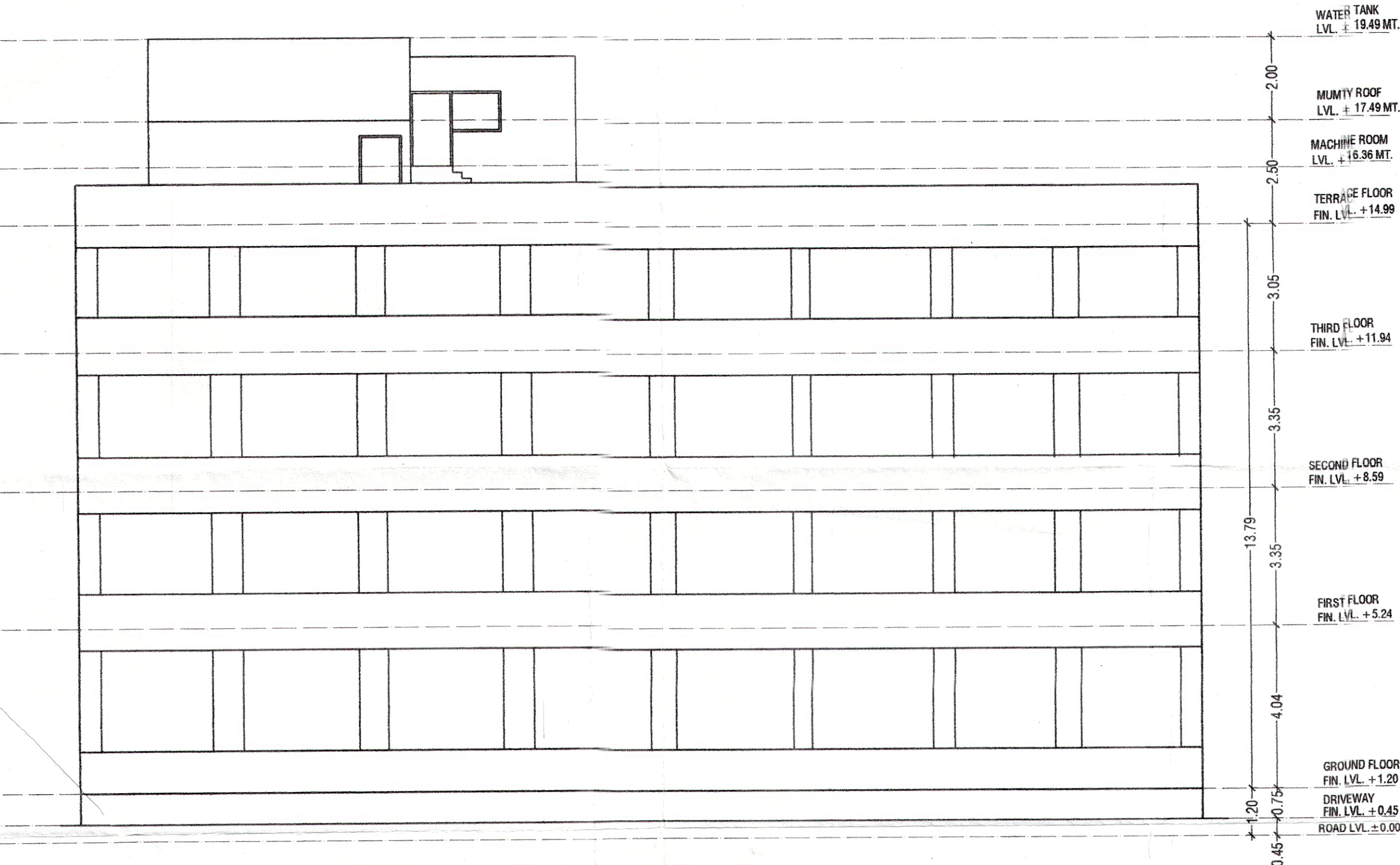
16/12/2016
5.9.10
HSH - SATYAM INFRASTRUCTURE
JAIN



SOUTH SIDE ELEVATION



WEST SIDE ELEVATION



EAST SIDE ELEVATION

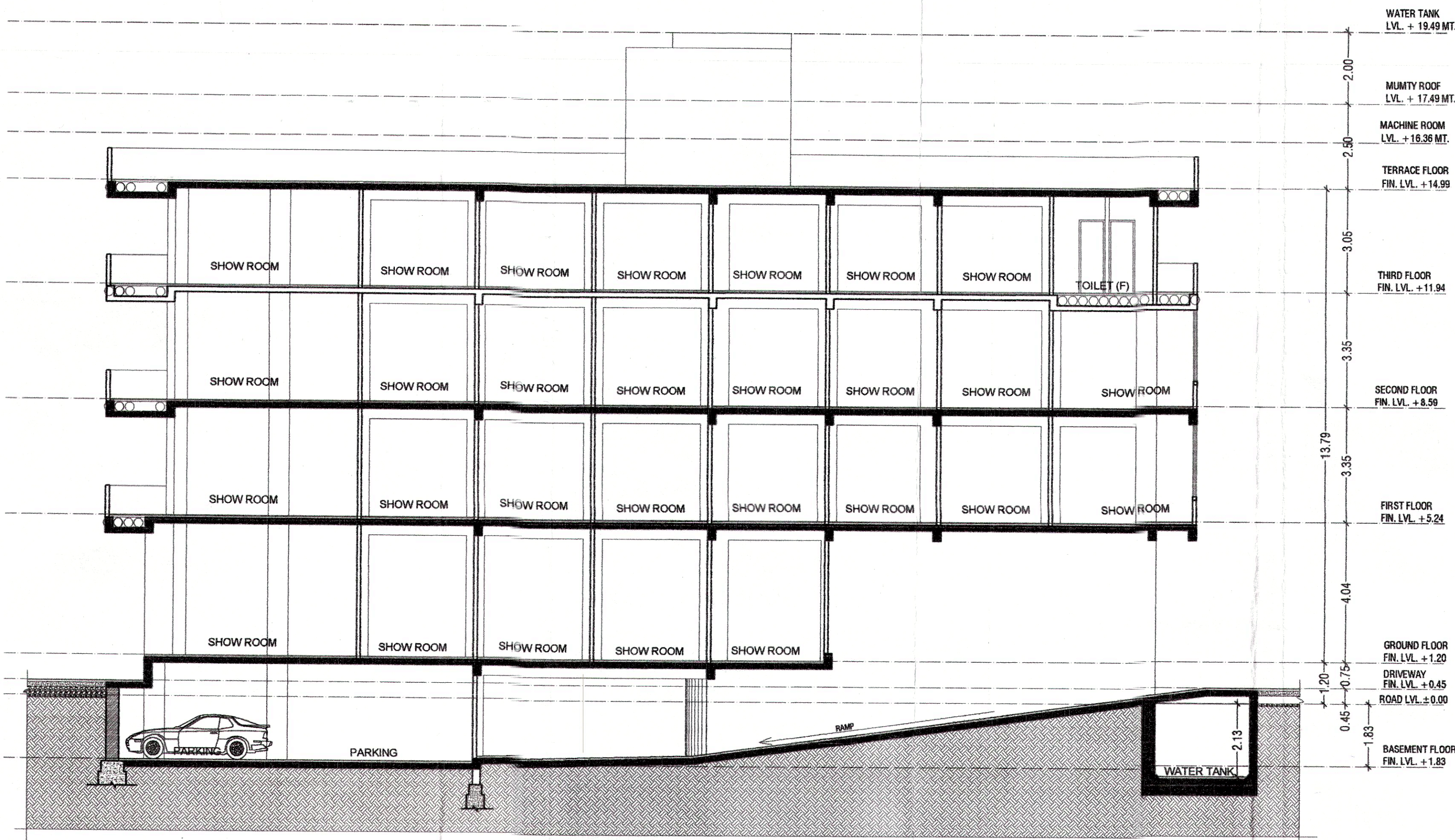
WARD NO. 16 PURANI KOTWALI ROAD, SIKAR (RAJ).
VERSUS - MESERS SATYAM INFRASTRUCTURE, KOTWALI ROAD,
SIKAR. DIST - SIKAR, PARTNERS:- 1. SHRI ANUBHAV JAIN S/O. NANAKRAM JAIN
CASTE JAIN , RESIDENT WARD NO. 24, NEAR TABELA GA TE
SIKAR. 2.SHRI RAMESH KUMAR AGARWAL S/O. SHRI PRABHUDAYAL AGARWAL CASTE
MAHAJAN, RESIDENT KOTWALI ROAD, SIKAR AND 3. MOHAMMAD RIYAZ S/O SHRI NOOR
MOHAMMAD CASTE MUSLIM RESIDENT MUGHAL MANZIL , NEAR PINK HOUSE, GANDHI NAGAR, SIKAR, RAJ.

SCALE 1:100	
TITLE: SUBMISSION DRAWINGS SOUTH SIDE , WEST SIDE ELEVATION & EAST SIDE	
PROJECT: PROPOSED COMMERCIAL BUILDING M/S SATYAM INFRA. AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.	
OWNER:	ARCHITECT: Ar. SUNIL NIRMAL KUMAR JAIN COUNCIL OF ARCHITECTURE CA/2014/64802

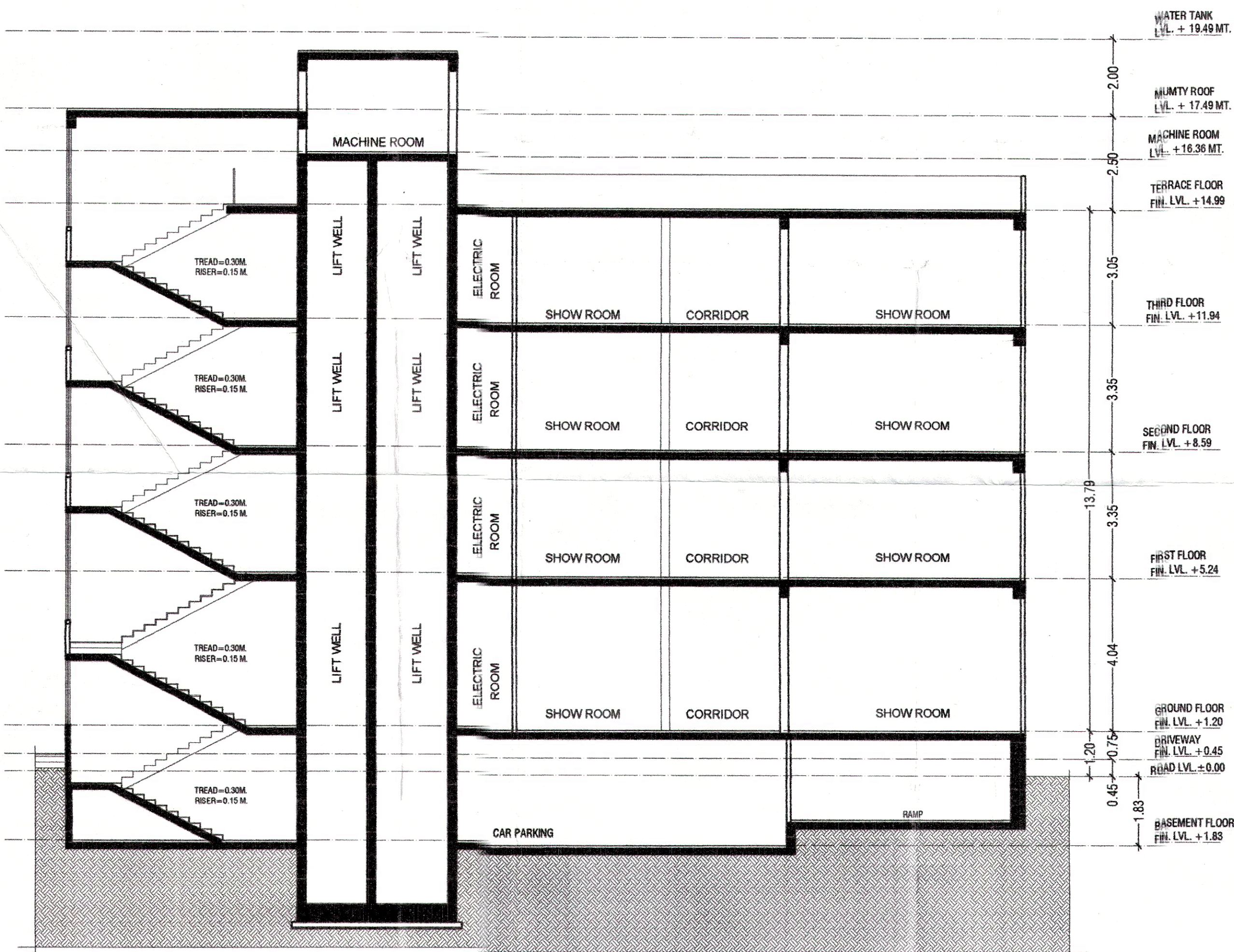
For Satyam Infrastructure

Authorized Signature

16.11.2018
5.7
5.9.2018
16.11.2018
5.7
5.9.2018
16.11.2018
5.7
5.9.2018



SECTION AT X-X

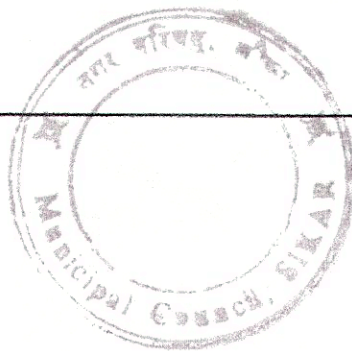


SECTION AT Y-Y

WARD NO. 16 PURANI KOTWALI ROAD, SIKAR (RAJ).
VERSUS - MESERS SATYAM INFRASTRUCTURE, KOTWALI ROAD,
SIKAR. DIST - SIKAR, PARTNERS:- 1. SHRI ANUBHAV JAIN S/O. NANAKRAM JAIN
CASTE JAIN , RESIDENT WARD NO. 24, NEAR TABELA GATE SIKAR. 2.SHRI RAMESH KUMAR
AGARWAL S/O. SHRI PRABHUDAYAL AGARWAL CASTE MAHAJAN, RESIDENT KOTWALI ROAD,
SIKAR AND 3. MOHAMMAD RIYAZ S/O SHRI NOOR MOHAMMAD CASTE MUSLIM RESIDENT MUGHAL MANZIL,
NEAR PINK HOUSE, GANDHI NAGAR, SIKAR, RAJ.

SCALE 1:100	
TITLE: SUBMISSION DRAWINGS SECTIONS AT XX & YY	
PROJECT: PROPOSED COMMERCIAL BUILDING M/S SATYAM INFRA. AT KOTAWALI ROAD, SIKAR.	
OWNER:	ARCHITECT: AT. SUNIL NIRMAL KUMAR JAIN COUNCIL OF ARCHITECTURE CA/2014/64602

For Satyam Infrastructure
Authorised Signatory



16/08/2018
5.9.2018
808-54454424
16/08/2018
5.9.2018
808-54454424